

स्थल निरीक्षण एवं संक्षिप्त टीप

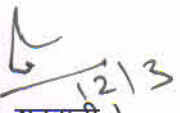
प्रकरण का नाम :- मे० छिंदवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड के लिये 80.737 हे. वन एवं राजस्व वन भूमि की वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत स्वीकृति बाबत।

स्थल निरीक्षण का दिनांक :- 12.03.2019

मे० छिंदवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड के लिये 80.737 हे. वन एवं राजस्व वन भूमि का स्थल निरीक्षण मेरे द्वारा दिनांक 12.03.2019 को वनमंडलाधिकारी दक्षिण छिंदवाड़ा एवं आवेदक संस्थान के प्रतिनिधियों के साथ किया गया। प्रस्तावित वन भूमि में 8.330 हे० वन क्षेत्र, एवं 72.407 हे० राजस्व वन क्षेत्र इस प्रकार कुल 80.737 हे० भूमि प्रभावित होगी। वनमंडलाधिकारी द्वारा दिये गये स्थल निरीक्षणों के तथ्यों से सहमत होते हुये प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि व्यपवर्तन हेतु देने की अनुशंसा की जाती है।

स्थान :- छिंदवाड़ा

दिनांक :- 12.03.2019


(के. के. गुरवानी)
मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक
छिंदवाड़ा वनवृत्त
8/2/3/19